नव भारत
1934 से
भोपाल 70 वां वर्ष संस्करण

4 सधी हुई रणनीति से जीतती है बीजेपी

5 पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा

8 गिल को मिली अस्पताल से छुट्टी

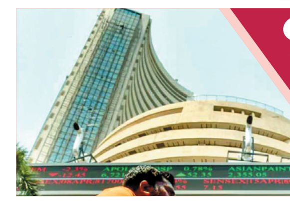

9 शेयर बाजारों में लगातार छठे दिन तेजी जारी रही

# सऊदी अरब में 45 भारतीयों की मौत

**मदीना/हैदराबाद, 17 नवंबर. सऊदी अरब के मक्का-मदीना हाईवे पर रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में भारतीय उमरा यात्रियों से भरी बस के तेल से भरे टैंकर से टकराने से 45 लोगों की मौत हो गई.**

हादसा मदीना शहर से लगभग 25 किलोमीटर पहले हुआ. ये सभी यात्री मक्का में उमरा अदा करने के बाद मदीना जा रहे थे. टक्कर के तुरंत बाद बस आग की लपटों में घिर गई. आग इतनी भीषण थी कि बस लगभग पूरी तरह जल गई, जिससे मृतकों की पहचान कर पाना कठिन हो गया. हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने कहा है कि घटना के समय बस में 46 लोग सफर कर रहे थे, जिनमें से 45 की मौत हो गई और एक ही व्यक्ति ही जीवित बच पाया है.

### मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को सऊदी अरब के मदीना में हुए सड़क हादसे में भारतीयों की मौत पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा, मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

### जयशंकर ने भारतीयों की मौत पर दुख जताया

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सऊदी अरब के मदीना में एक बस दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है. डॉ जयशंकर ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुँचा है.

### रक्षामंत्री ने हादसे में दिवंगत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी

सऊदी अरब में भारतीय श्रद्धालुओं को ले जा रही बस के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है. इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर ट्वीट करके इस दुर्घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को शक्ति प्रदान करने की कामना की है.

# बिहार की मंत्रिपरिषद भंग

- नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा
- कैबिनेट की बैठक में तीन प्रस्ताव हुए पास

**पटना, 17 नवंबर. बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है. इस बीच आज नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन गए और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कौ सौंप दिया है.**

वहीं, मंगलवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है. नई सरकार के गठन तक नीतीश कुमार ही कार्यवाहक सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते रहेंगे. इससे पहले राज्य मंत्रिपरिषद की सोमवार को औपचारिक बैठक हुई. यह मौजूदा नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक थी. इसमें मंत्रिपरिषद भंग करने की सिफारिश की गई है.

## एक नजर में

### राजधानी में जहरीली धुंध की घनी परत छाई

**नई दिल्ली.** राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह जहरीली धुंध की घनी परत छाई रहने से कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार राजधानी में आज सुबह जहां अब्दुल कलाम रोड पर एक्यूआई 394 दर्ज किया गया, वहीं, आनंद विहार में घना धुंध छाए रहने से एक्यूआई 383 और गाजीपुर क्षेत्र में 369 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है.

### महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 32 करोड़

**बेंगलुरु.** कर्नाटक की राजधानी और आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु से एक साइबर फ्राड की सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां एक 57 साल की महिला को डिजिटल अरेस्ट कर दो महीने के भीतर 32 करोड़ रुपए ठगे गए. ठगों ने डीएचएल कर्मचारी, साइबर अपराध विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का रूप धारण कर महिला को कथित तौर पर एक महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा. 14 नवंबर को दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, पूरा मामला 15 सितंबर, 2024 को शुरू हुआ.

### आजम और अब्दुल्ला को सात-सात साल की सजा

**रामपुर.** उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक विशेष अदालत ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने आजम और अब्दुल्लाको दो पैन कार्ड रखने के इल्जाम में दोषी करार दिया है. सजा के चलते कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं. शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बाहर आकर सबसे पहले यह जानकारी दी. आकाश सक्सेना इस मामले में वादी हैं.

# जहरीली शराब से 24 मौत मामले में 14 को सजा

**10** -10 साल की सजा सुनाई गई | **10** जनवरी 2021 को हुई थी घटना

नवभारत न्यूज

**मुरैना. बहुचर्चित छैरा जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने पांच साल बाद फैसला सुनाया है. जौरा कोर्ट ने 14 आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है. 11 आरोपियों पर 1 लाख 32 हजार रुपए का जुर्माना और 3 आरोपियों पर 1 लाख 7 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.10 जनवरी 2021 को हुई इस घटना में 24 लोगों की मौत हुई थी.**

छैरा मानपुर गांव के कई लोगों ने सस्ती शराब जमकर पी थी. इस जहरीली शराब को पीने से एक-एक कर तीन दिन में कुल 24 ग्रामीणों की मौत हुई थी. जहरीली शराब पीने से पहले लोगों की आंखों की रोशनी गई और फिर उनकी जान चली गई थी. इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों पर

एफआईआर दर्ज की थी. पांच साल बाद जौरा के अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी की कोर्ट ने सभी आरोपों को सही पाया और सजा का ऐलान किया. इस मामले में दोषी साबित हुए मुकेश, राहुल, गिर्राज उर्फ गजराज, प्रदीप राठौर, ब्रजमोहन उर्फ कल्ला, सुरेंद्र, अंतराम, दिनेश करतार, मनजीत और सतीश इन सभी को दस-दस साल की सजा एवं 1 लाख 32 हजार का जुर्माने की सजा हुई है.

## ऑपरेशन सिंदूर में बस ट्रेलर दिखाया

**नई दिल्ली.** भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने दो टूक कहा कि जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देगा, हम उसको जवाब देंगे.' बता दें कि जनरल द्विवेदी ने सोमवार को यहां चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन कार्यक्रम में सवालों के जवाब दिए. सेना प्रमुख ने कहा, 'अगर हमारे पास 'बैरंग चिट्ठी' भी आई तो उसका भी जवाब देंगे. हम स्पष्ट कर चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, यानी बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते. हम तो सिर्फ यह बोल रहे हैं कि यदि आप शांति की प्रक्रिया अपनाएं तो हम भी साथ देंगे.

# संदिग्ध आतंकी उमर का एक और सहयोगी अरेस्ट

## दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए का एक्शन जारी

**नई दिल्ली, 17 नवंबर. दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को एक और बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने आतंकवादी उमर उन नबी के एक अहम साथी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया है.**

जासिर कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है और जांच में सामने आया है कि वह धमाके की साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. एनआईए के अनुसार, जासिर ने आतंकियों को तकनीकी सहायता प्रदान की थी. वह ड्रोन में बदलाव कर उन्हें हमलों के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था.

### अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष का भाई गिरफ्तार

दिल्ली विस्फोट मामले में जांच के घेरे में आए अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जावेद सिद्दीकी के भाई को मध्यप्रदेश पुलिस ने महू में वित्तीय धोखाधड़ी के सिलसिले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि 25 साल पहले मध्यप्रदेश के महू में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोपी हमूद अहमद सिद्दीकी को रविवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया, हमूद 2000 में कथित तौर पर एक फर्जी निजी बैंक स्थापित करने और सैकड़ों निवासियों को उनकी जमा राशि दोगुनी करने का वादा करके उन्हें लुभाने के बाद महू से गायब हो गया था. घोटाला सामने आने के तुरंत बाद वह अपने परिवार के साथ भाग गया था, जिससे अधिकारी दशकों तक उसकी तलाश करते रहे.

# युवा राज्य के असली मैनपावर

## सीएम डॉ. मोहन यादव बोले-एक लाख पदों पर भर्ती जारी

प्रशासनिक संवाददाता

**भोपाल, 17 नवंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मप्र देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है. हमारा प्रदेश युवा शक्ति की नई ऊर्जा, नई उमंग से भरपूर है. यही राज्य की असली मैनपावर है, जिनके हाथों में विकसित भारत का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है.**

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को रवीन्द्र भवन में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलन कर दो दिवसीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया. प्रदेश के सभी संभागों के युवाओं द्वारा तैयार प्रादर्शों के

विज्ञान मेला प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया. युवा उत्सव का समापन 18 नवंबर को होगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नृत्याचार्य पद्मश्री रामलाल बरेठ को 51 हजार रुपए, शूटिंग प्लेयर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को 2 लाख रुपए एवं एथलीट सुश्री रंजना यादव को एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक एवं सम्मान-पत्र प्रदान किए.

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कर्मचारी चयन मण्डल एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग एक लाख पदों पर भर्ती तेजी से जारी है. सरकार का लक्ष्य इसे 2.5 लाख भर्तियों तक पहुंचाने का है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर और उन्हें स्वावलंबी बनाना सरकार का संकल्प है, जिससे वे अपने स्वावलंबी जीवन की नींव रख सकें.

## गुस्ताखी माफ

**निकाय चुनाव** सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा- अदालत की शक्तियों का इम्तिहान न लिया जाए

# 50 फीसदी आरक्षण से सीमा पार न हो

**नई दिल्ली, 17 नवंबर. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो. अदालत ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अदालत की शक्तियों का इम्तिहान न लिया जाए, यदि आरक्षण सीमा का उल्लंघन हुआ, तो चुनाव रोक दिया जाएगा.**

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2022 की जेके बांठिया आयोग की रिपोर्ट से

पहले की स्थिति के अनुसार ही कराए जा सकते हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी. राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर पीठ ने मामले की सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय की, लेकिन राज्य सरकार से कहा कि वह 50 प्रतिशत सीमा से आगे न बढ़े. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर दलील यह दी गई कि नामांकन शुरू हो गया है और अदालत को अपना काम रोक देना चाहिए, तो हम चुनाव पर रोक लगा देंगे. इस अदालत की शक्तियों का इम्तिहान न लिया जाए. 'हमारा इरादा आरक्षण सीमा पार करने का नहीं था' पीठ ने कहा कि हमारा इरादा संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को पार करने का कभी नहीं था.

### तेलंगाना स्पीकर को भेजा अवमानना नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीआरएस विधायकों के अयोग्यता मामले पर तेलंगाना के स्पीकर को अवमानना नोटिस जारी किया है. यह नोटिस, विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के निर्देश का पालन न करने के लिए जारी किया. बीती 31 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिया था कि वे तीन महीने के भीतर बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लें.